रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 1972/चैत्र 31, 1894
No 86] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 1972/CHAITRA 31, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th April, 1972

SUBJECT.—*Trade with Bangladesh during the period from 28th March, 1972 to 27th March, 1973.*

No. 57-ITC(PN)/72.—In pursuance of the trade agreement between the Governments of India and Bangladesh, it has been decided to allow imports into India from Bangladesh and exports from India to Bangladesh in the manner set out in this Public Notice.

2. **Trade against Limited Payments Arrangement.**—Imports into India from Bangladesh and exports from India to Bangladesh may be allowed in respect of commodities and goods produced or manufactured in India or Bangladesh, as the case may be, as specified in the Annexures I & II and upto the overall monetary ceilings indicated against each commodity. The payments in respect of these goods shall be made in accordance with the banking arrangements concluded between the State Bank of India and the Uttara Bank in Bangladesh.

3. The Annexures also indicate, in respect of each commodity, the importers or exporters who will be eligible to participate in the import or the export trade, as the case may be.

I.—*Imports into India*

4. Persons who are eligible to import goods from Bangladesh under this Arrangement will be required to negotiate with the eligible exporters in Bangladesh for import of permissible goods. The contracts concluded between the eligible importers in India and the eligible exporters in Bangladesh will be registered with the designated Bank in Bangladesh on "first-come first-served basis". Necessary intimation in regard to the registration of the contract in each case will be sent by the designated Bank in Bangladesh to the local Head Office of the State Bank of India, Calcutta. On such intimation the State Bank of India, Calcutta will maintain a duplicate account of registration of contracts for imports into India from Bangladesh. The State Bank of India will send the necessary intimation in regard to the registration of each contract to the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Calcutta.

5. Within a period of ten days from the date of conclusion of the contract, the eligible importer should apply for an import licence to the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Calcutta, for the value and the commodity for which the contract has been concluded. The import application should be made in Form 'A' prescribed for Established Importers, as reproduced in Appendix III of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1972-73. At the top of the application form, the words "Import from Bangladesh under Limited Payments Arrangement" should be written. The application should *Inter-alia* be supported by a treasury challan regarding payment of application fees at the prescribed rate.

6. Import licence will be issued after the licensing authority has received intimation through the State Bank of India in regard to the registration of the contract with the designated Bank in Bangladesh, and the application is in order and complete, and the applicant is found otherwise eligible for the licence.

7. The licensing authority will endorse the licence to the effect that the payment in respect of the imports shall be made through the Special Account maintained by the State Bank of India, Calcutta in terms of the provisions of the Banking Arrangement concluded between the State Bank of India and the Uttara Bank in Bangladesh.

8. The licensing authority will also impose on the import licence other conditions as may be necessary governing the distribution and sale of imported materials.

9. Imports made against such licences shall not qualify for establishment of quotas under the Import Policy for Established Importers and will, therefore, be marked "Not Qualifiable for Quota (NQQ)".

10. All imports shall be against irrevocable letters of credit through the designated Bank viz. the State Bank of India. Import licence shall be valid for opening letter of credit within 30 days of issue of the licence or upto 27th February, 1973, whichever is earlier. For the purpose of shipment of goods, the import licence shall be valid for a period of three months from the date of its issue or upto 27th March, 1973, whichever is earlier, provided the letter of credit has been opened within the prescribed time. No extension shall be granted of the period of validity of the licence.

II.—*Exports from India*

11. Persons who are eligible to export goods from India under this Arrangement will be required to negotiate with the eligible importers in Bangladesh and register their contracts for export of permissible goods with the local Head Office of the State Bank of India, Calcutta. The registration of contract shall be valid only for a period of 3 months or upto 27th March, 1973, whichever is

earlier, and within this time the execution of the contract including shipment of goods shall be required to be completed, failing which the registration shall lapse. The contracts will be registered by the State Bank of India, Calcutta on "first-come first-served" basis upto the monetary ceilings allocated for the commodities concerned. Necessary intimation in regard to the registration of the contract in each case will be sent by the State Bank to the Uttara Bank in Bangladesh. On such intimations, the Uttara Bank in Bangladesh will maintain a duplicate account of registration of contracts for exports from India to Bangladesh.

12. The particulars of registered contracts will also be sent by the State Bank Calcutta to the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta. The Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta. Even in respect of contract has been entered into by the party eligible for exports from India to Bangladesh.

13. All exports shall be against irrevocable letters of credit. The eligible exporters will be permitted to export goods to Bangladesh in pursuance of the registered contracts, if otherwise in order. Applications for the grant of export licences or for endorsements on the Shipping Bills for exports should be made to the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta. Even in respect of commodities of which the export from India is not controlled under the Exports (Control) Order, the exporters participating in export trade with Bangladesh in pursuance of this Public Notice under the Limited Payments Arrangement shall be required to obtain export licences or endorsement on their Shipping Bills for exports, from the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta. The Shipping Bill will be made valid for shipment upto a period of one month or upto 27th March 1973, whichever is earlier. The exporters will be required to file the G.R. Form with their export documents.

14. Exports made to Bangladesh will qualify for the normal benefits available to exporters under the import policy for Registered Exporters.

15. A copy of the Public Notice issued by the Government of Bangladesh regarding trade with India under this Arrangement, is reproduced in Annexure III for information.

16. **Trade outside Limited Payments Arrangement.**—Imports and exports of commodities and goods produced or manufactured in India or Bangladesh, as the case may be, which are not included in the Annexures I & II may be allowed to be imported into India from Bangladesh or exported from India to Bangladesh in accordance with the import, export and foreign exchange regulations and other procedures including customs formalities as may be in force from time to time.

ANNEXURE I

List I—Exports to Bangladesh

Commodities/goods	Value (Rs. lakhs)	Eligible exporters in India	Eligible importers in Bangladesh
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Cement. . . .	450	State Trading Corporation.	Director of Supplies.
2. Asphalt . . .	100	Indian Oil Corporation	Director of Supplies.
3. Coal	400	Minerals & Metals Trading Corporation.	Coal Controller.

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Cotton textiles . .	25	Cotton Textiles Export Promotion Council.	Trading Corporation of Bangladesh.
5. Cotton yarn . . .	150		
6. Tobacco unmanufactured	1000	State Trading Corporation	Trading Corporation of Bangladesh.
7. (i) Stone Boulders .		(i) Eligible Exporters.	(i) Director of Supplies and Bangladesh Railways.
(ii) Hard wood (including Sal and Teak)		(ii) Eligible Exporters.	(ii) Trading Corporation of Bangladesh.
(iii) Soft wood .		(iii) Eligible Exporters	(iii) Trading Corporation of Bangladesh.
(iv) Barytes (white) .		(iv) Eligible Exporters.	(iv) Trading Corporation of Bangladesh.
(v) Lime & Lime stone		(v) Eligible Exporters,	(v) Bangladesh Industrial Development Corporation/Trading Corporation of Bangladesh.
(vi) Dolomite . .	100	(vi) Eligible Exporters.	(vi) Bangladesh Industrial Development Corporation/Trading Corporation of Bangladesh.
(vii) Gypsum . .		(vii) Eligible Exporters	(vii) Bangladesh Industrial Development Corporation/Trading Corporation of Bangladesh.
(viii) Unslaked Lime .		(viii) Eligible Exporter.	(viii) Bangladesh Industrial Development Corporation/Trading Corporation of Bangladesh.
8. (i) Books & Periodicals	20	(i) Eligible Exporters.	(i) Eligible Importers.
(ii) Gramophone Records		(ii) Eligible Exporters.	(ii) Eligible Importers.
9. Movies . . .	15	Indian Motion Pictures Export Corpn.	Film Development Corporation.
10. Ayurvedic & Unani medicines (medicinal herbs and crude drugs.)	25	Eligible Exporters	Eligible Importers.
11. Chemicals & Pharmaceuticals.	25	State Trading Corporaion	Trading Corporation of Bangladesh.
12. Spices . . .	15	State Trading Corporation	Trading Corporation of Bangladesh.
13. Infant Milk Food, .	25	Eligible Exporters	Eligible Importers.
14. Machinery and Spare parts.	50	Eligible Exporters	Eligible Importers.
15. Miscellaneous (items to be mutually agreed upon)	100	..	..

ANNEXURE II

List II—Exports to India

Commodities/goods	Value (Rs. lakhs)	Eligible exporters in Bangladesh	Eligible importers in India
1. Fresh fish	900	Eligible exporters	Central Fisheries Corporation.
2. Semi-tanned cowhides including wet blue.	100	Trading Corporation of Bangladesh.	State Trading Corporation.
3. Furnace Oil, Jute batching oil and naptha.	150	Eastern Refineries Ltd., Chittagong.	Indian Oil Corporation.
4. Newsprint and low grammage writing paper.	300	Trading Corporation of Bangladesh and Bangladesh Industrial Development Corporation.	State Trading Corporation.
5. Raw Jute.	750	Jute Marketing Corporation and Jute Trading Corporation.	State Trading Corporation/ Jute Corporation
6. Molasses	25	Bangladesh Indutrial Development Corporation.	State Trading Corporation
7. Ayurvedic & Unani medicines.	25	Eligible exporters	Eligible importers.
8. (i) Books and periodicals (ii) Gramophone records	20	(i) Eligible exporters (ii) Eligible exporters	(i) Eligible importers. (ii) Eligible importers.
9. Movies	15	Film Development Corporation.	Indian Motion Pictures Export Corporation.
10. Pharmaceuticals	10	Trading Corporation of Bangladesh.	State Trading Corporation.
11. Spices	5	Trading Corporation of Bangladesh.	State Trading Corporation.
12. (i) Simul Cotton (Kapok) (ii) Hard Board (iii) Handloom products	100	(i) Eligible exporters (ii) Trading Corporation of Bangladesh. (iii) Bangladesh Small Industries Corporation & Handloom Exports Corporation.	(i) Eligible importers. (ii) State Trading Corporation. (iii) All India Handloom Board.
13. Miscellaneous (items to be mutually agreed upon).	100	..	..

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली 20 अप्रैल 1972

विषय : 28-3-1972 से 27-3-1973 तक की अवधि के दौरान बांगलादेश के साथ व्यापार ।

संख्या : 57 आई० टी० सी० (पी० एन०) / 71.—भारत सरकार तथा बांगलादेश सरकार के बीच व्यापार समझौते के अनुसरण में, इस सार्वजनिक सूचना में निर्धारित विधि के अनुसार बांगलादेश से भारत में आयात तथा भारत से बांगलादेश में निर्यात करने की स्वीकृति देने का निश्चय किया गया है ।

सीमित भुगतान व्यवस्थायों के लिए व्यापार

2. वे पण्यवस्तुएं और माल जो भारत अथवा बांगलादेश में उत्पादित अथवा निर्मित है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि अनुबन्ध 1 तथा 2 में विशिष्टिकृत हैं, और प्रत्येक पण्यवस्तु के सामने संकेतित कुल मौद्रिक उच्चतम सीमा तक के लिए बांगला देश से भारत में आयात तथा भारत से बांगला देश में निर्यात के लिए स्वीकृति दी जा सकती है । इन मदों के सम्बन्ध में भुगतान स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा उत्तरा बैंक, बांगला देश के बीच तय की गई बैंकिंग व्यवस्थाओं के अनुसार किए जाएंगे ।

3. अनुबन्ध प्रत्येक पण्यवस्तु के सम्बन्ध में उन आयातकों अथवा निर्यातकों को भी संकेतित करते हैं जो आयात अथवा निर्यात व्यापार में जैसा भी मामला हो, भाग लेने के लिए पात्र होंगे ।

1—भारत में आयात

4. ऐसे व्यक्ति जो इस व्यवस्था के अन्तर्गत बांगलादेश से आयात करने के लिए पात्र हैं, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे अनुमेय माल के आयात के लिए बांगलादेश में पात्र निर्यातकों के साथ सौदा करें । भारत में पात्र आयातकों तथा बांगलादेश में पात्र निर्यातकों के बीच तय की गई संविदाओं को बांगलादेश में नामित बैंक में "पहले पाए सो पहले पाए" के आधार पर पंजीकृत किया जाएगा । प्रत्येक मामले में, संविदा के पंजीकरण से सम्बन्धित आवश्यक सूचना बांगलादेश में नामित बैंक द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया कलकत्ता के स्थानीय प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी । ऐसी सूचनाओं के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता बांगलादेश से भारत में आयात के लिए संविदाओं के पंजीकरण का अनुलिपि में लेखा रखेगा । स्टेट बैंक आफ इंडिया प्रत्येक संविदा के पंजीकरण से संम्बन्धित आवश्यक सूचना को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, कलकत्ता को भेजेगा ।

5. संविदा तय हो जाने के 10 दिन की अवधि के भीतर ही पात्र आयातक को चाहिए कि जिस मूल्य तथा पण्य वस्तु के लिए संविदा की गई है उस के लिए आयात लाइसेंस के लिए संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, कलकत्ता को आवेदन करें। आयात आवेदन पत्र, आयात-व्यापार नियंत्रण, नियम तथा कार्याविधि हैंड बुक, 1972-73

में दिए गए के अनुसार संस्थापित आयातकों के लिए निर्धारित प्रपत्र 'ए' में किए जाने चाहिए । आवेदन पत्र के शीर्ष पर शब्द "सीमित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत बांगला देश से आयात" लिखे होने चाहिए । आवेदन पत्र के साथ अन्य बातों के साथ निर्धारित दर के हिसाब से आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए एक राज कोष चालान भी दिया जाना चाहिए।

6. आयात लाइसेंस तब जारी किया जाएगा जबकि बांगला देश में नामित बैंक के साथ संविदा के पंजीकरण के बारे में सूचना स्टेट बैंक आफ इंडिया के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी को प्राप्त हो जाती है और आवेदन पत्र सही तथा पूर्ण है और लाइसेंस के लिए आवेदक अन्यथा रूप से पात्र पाया जाता है ।

7. लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस पर यह पृष्ठांकन करेगा कि आयात के लिए भुगतान, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा उत्तरा बैंक, बांगलादेश के मध्य तय किए गए करार की बैंकिंग व्यवस्थाओं के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता द्वारा रखे गये विशष लेखा के माध्यम से किया जाएगा ।

8. लाइसेंस प्राधिकारी अन्य शर्तों को भी आवश्यकतानुसार आयातित माल के वितरण तथा बिक्री को शासित करने के लिए आयात लाइसेंस पर लगाएगा ।

9. संस्थापित आयातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत ऐसे लाइसेंसों के लिए किए गए आयात कोटा-स्थापन के लिए योग्य नहीं होंगे और इसलिए "कोटा के लिए योग्य नहीं हैं (एन क्यू क्यू)" चिह्नित किया जाएगा ।

10. सभी आयात नामित बैंक अर्थात् दि स्टेट बैंक आफ इंडिया के माध्यम से अपरिवर्तनीय साख पत्रों के मद्दे किए जायेंगे । लाइसेंस जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर अथवा 27-2-1973 तक इनमें जो भी पहले हो साख पत्र खोलने के लिए आयात लाइसेंस वैध होगा । माल के पोत लदान प्रयोजनों के लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से तीन मास की अवधि तक अथवा 27-3-1973 तक, इनमें जो पहले हो वैध, होगा बशर्ते कि निर्धारित अवधि के दौरान साख पत्र खोल दिया गया हो। लाइसेंस की वैधता अवधि में किसी प्रकार की वृद्धि को स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

2—भारत से निर्यात

11. ऐसे व्यक्ति जो इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारत से माल के निर्यात के लिए पात्र हैं, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे बांगलादेश में पात्र आयातकों से सौदा करें और स्वीकृत माल के निर्यात के लिए अपनी संविदाओं को स्टेट बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता के स्थानीय प्रधान कार्यालय में पंजीकृत करें। संविदा का पंजीकरण केवल 3 मास की अवधि तक अथवा 27-3-1973 तक इनमें जो भी पहले हो, वैध होगा और इसी अवधि के भीतर माल के लदान संहिता संविदा के चालू करने के कार्य को पूरा करना आवश्यक होगा और ऐसा न करने की स्थिति में पंजीकरण समाप्त हो जाएगा । सम्बन्धित पण्यवस्तुओं के लिए निर्धारित मौद्रिक उच्चतम सीमा तक "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर स्टेट बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता द्वारा संविदाएं पंजीकृत की जाएंगी । प्रत्येक मामले में संविदा के पंजीकरण के लिए आवश्यक सूचना स्टेट बैंक द्वारा उत्तरा बैंक, बांगलादेश को भेजी जाएगी । ऐसी सूचनाओं के बाद उत्तरा बैंक, बांगलादेश भारत से बांगलादेश को निर्यात के लिए संविदाओं के पंजीकरण का अनुलिपि में लेखा रखेगा ।

12. स्टेट बैंक, कलकत्ता द्वारा पंजीकृत संविदाओं के ब्यौरों को भी संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कलकत्ता को भेजा जाएगा । संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कलकत्ता यह सत्यापित करेगा कि क्या भारत से बांगलादेश को निर्यात के लिए योग्य पार्टी द्वारा संविदा की गई है ।

13. सभी निर्यात अपरिवर्तनीय साख पत्र के मद्दे किए जाएंगे । सभी योग्य निर्यातक, पंजीकृत संविदाओं के अनुसरण में, बांगलादेश को माल निर्यात के लिए स्वीकृत होंगे बशर्ते कि वे अन्यथारूप से सही हैं । निर्यात लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा निर्यातकों के लिए पोतलदान बिल पर पृष्ठांकन के लिए आवेदन पत्र, संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, कलकत्ता को भेजे जाने चाहिए । यहां तक कि उन पण्यवस्तुओं के सम्बन्ध में भी जिनका भारत से निर्यात, निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित नहीं है, ऐसे निर्यातक जो सीमित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में बांगलादेश के साथ निर्यात व्यापार में भाग ले रहे हैं उनके लिए संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, कलकत्ता से निर्यात लाइसेंस लेना अथवा निर्यात के लिए आने पोत लदान बिल पर पृष्ठांकन कराना आवश्यक होगा । पोतलदा न बिल पोतलदान के लिए एक मास की अवधि तक अथवा 27-3-1973, इनमें जो भी पहले हो, वैध रहेगा । निर्यातकों को अपने निर्यात दस्तावेजों के साथ जो आर-प्रपत्र लगाना आवश्यक होगा ।

14. बांगलादेश को किए गए निर्यात, पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातकों के लिए उपलब्ध सामान्य लाभ के लिए योग्य होंगे ।

15. इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारत के साथ व्यापार के सम्बन्ध में बांगलादेश सरकार द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सूचनार्थ अनुबन्ध-3 में दी गई है ।

सीमित भुगतान व्यवस्था से परे व्यापार

16. उन पण्यवस्तुओं और माल का आयात तथा निर्यात जो भारत अथवा बांगलादेश में उत्पादित अथवा निर्मित हैं, जैसा भी मामला हो, जो अनुबन्ध 1 तथा 2 में शामिल नहीं किए गए हैं, समय समय पर लागू किए जाने वाले सीमाशुल्क औपचारिकताओं सहित आयात-निर्यात तथा विदेशी मुद्रा विनियमों तथा अन्य विधियों के अनुसार बांगलादेश से भारत से आयात करने के लिए अथवा भारत से बांगलादेश में निर्यात करने के लिए स्वीकृत होंगे ।

अनुबन्ध—1

सूची—1—बांगला देश का आयात

पण्यवस्तु/माल	मूल्य (लाख रु० में)	भारत में पात्र निर्यातक	बांगला देश पात्र आयातक
1	2	3	4
1. सीमेंट	450	राज्य व्यापार निगम	संभरण निदेशक
2. एसफाल्ट	100	भारतीय तेल निगम	वही
3. कोयला	400	खनिज तथा धातु व्यापार निगम।	कोयला नियंत्रक
4. सूती वस्त्र	25	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन	व्यापार निगम, बांगलादेश।
5. सूती धागे	50	परिषद	
6. अनिर्मित तम्बाकू	1000	राज्य व्यापार निगम	व्यापार निगम, बांगलादेश।
7. (1) स्टोन बोल्डर्स		(1) पात्र निर्यातक	(1) संभरण निदेशक तथा बांगलादेश रेलवे।
(2) सख्त लकड़ी (जिसमें साल और सागौन शामिल है)		(2) वही	(2) व्यापार नियगम बांगलादेश
(3) मुलायम लकड़ी	100	(3) वही	(3) वही
(4) बेराइट (सफेद)		(4) वही	(4) वही
(5) चूना तथा चूना पत्थर		(5) वही	(5) बांगलादेश औद्योगिक विकास निगम। व्यापार निगम, बांगलादेश
(6) डोलमिटो		(6) वही	(6) वही
(7) जिपसम		(7) वही	(7) वही
(8) बिना बूझा चूना		(8) वही	(8) वही
8. (1) किताबें और पत्र-पत्रिकाएं	20	(1) पात्र निर्यातक	(1) पात्र आयातक
(2) ग्रामाफोन रिकार्ड		(2) वही	(2) वही

1	2	3	4
9. मूविज	15	इण्डियन मोशन पिक्चर्स निर्यात निगम	फिल्म विकास निगम
10. आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाइयां (औषधियंबूटिया तथा अपरिष्कृत दवाइयां)	25	पात्र निर्यातक	पात्र आयातक
11. रासायनिक तथा औषध भेषजीय	25	राज्य व्यापार निगम	व्यापार निगम, बांगलादेश
12. मसाले	15	वही	वही
13. शिशु वुग्ध खाद्य	25	पात्र निर्यातक	पात्र आयातक
14. मशीन और फालतू पुर्जे	50	पात्र निर्यातक	वही
15. विविध (मदों को परस्पर सहमति पर किया जाना है)	100	—	—

अनुबन्ध–2

सूची-2—भारत को निर्यात

पण्यवस्तु/माल	मूल्य (लाख रु० में)	बांगलादेश में पात्र निर्यातक	भारत में पात्र आयातक
1	2	3	4
1. ताजा मछली	900	पात्र निर्यातक	केन्द्रीय मछली पालन निगम
2. अर्ध-कमाया हुआ गाय का चमड़ा जिसमें वेट ब्ल्यू शामिल है।	100	व्यापार निगम, बांगलादेश	राज्य व्यापार निगम
3. फरनेश आयल, जूट बैंचिंग आयल तथा नेप्था	150	ईस्टर्न रिफाइनरीज लि० चटगांव	भारतीय तेल निगम
4. अखबारी कागज तथा लिखने पढ़ने के हल्के कागज	300	बांगलादेश का व्यापार निगम तथा बांगलादेश का औद्योगिक व्यापार निगम	राज्य व्यापार निगम
5. कच्चा जूट	750	जूट मार्किट निगम तथा जूट व्यापार निगम	राज्य व्यापार निगम/ जूट निगम
6. मेलासेस	25	बांगलादेश औद्योगिक विकास निगम	राज्य व्यापार निगम
7. आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाइयां	25	पात्र निर्यातक	पात्र आयातक
8. (1) किताबें तथा पत्र-पत्रिकाएं	20	(1) वही	(1) वही
(2) ग्रामोफोन रिकार्ड		(2) वही	(2) वही
9. मूविज	15	फिल्म विकास निगम	इण्डियन मोशन पिक्चर्स, निर्यात निगम
10. औषधी भेषजीय	10	व्यापार निगम बांगलादेश	राज्य व्यापार निगम
11. मसाले	5	वही	वही
12. (1) सिमुल काटन (कापोक)		(1) पात्र निर्यातक	(1) पात्र आयातक

1	2	3	4
(2) हार्ड बोर्ड	100	(2) व्यापार निगम, बांगलादेश	(2) राज्य व्यापार निगम
(3) हाथ करघा उत्पाद		(3) बांगलादेश लघु उद्योग निगम तथा हाथकरघा निर्यात निगम	(3) अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड
13. विविध (मदों को परस्पर सहमति पुर किया जाना है)		—	—

ANNEXURE III

GOVERNMENT OF BANGLADESH

MINISTRY OF TRADE AND COMMERCE

(Office of the Controller of Imports and Exports, Dacca)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE

Dacca, the 20th April, 1972

SUBJECT. *Trade with India during the period from 28th March, 1972 to 27th March, 1973.*

No. (72)/Import.—In pursuance of the Trade Agreement between the Governments of Bangladesh and India, it has been decided to allow imports into Bangladesh from India and exports from Bangladesh to India in the manner set out in this public notice.

Trade against Limited Payments Arrangement

2. Imports into Bangladesh from India and exports from Bangladesh to India may be allowed in respect of commodities and goods produced or manufactured in Bangladesh or in India as the case may be as specified in the Annexures I and II and upto the overall monetary ceilings as indicated against each commodity. The payments in respect of these goods shall be made in accordance with the banking arrangement concluded between the Uttara Bank of Bangladesh and State Bank of India.

3. The Annexures also indicate in respect of each commodity the importers and exporters who shall be eligible to participate in the import or export trade, as the case may be.

Imports into Bangladesh

4. In respect of items import of which has been allowed through private sector, import licences will be issued by this office to the eligible importers. The Semi-Govt. and autonomous corporations will be issued import licence by this office for the items and the amount as mentioned in the annexure. After receipt of the import licences, the licencees will be required to conclude contract with the eligible exporters in India and such contract will be registered with the State Bank of India, Calcutta. The State Bank of India will send necessary intimation to the Uttara Bank, Dacca. The Uttara Bank, Dacca will maintain a duplicate account of such contracts and open Letters of Credit. The Government Departments of Bangladesh who are not required to obtain import licence in terms of SRO 335/260/24 dated 12th June, 1951, will however, be required to finalise contract with the eligible exporters in India and register their contract as indicated above and process Letters of Credit accordingly.

5. All import licences/Letters of Credit will be suitably endorsed to the effect that the payments in respect of the import shall be made through the Special Account maintained by the Uttara Bank of Bangladesh, Dacca in terms of the provisions of the Banking Arrangements concluded between the Uttara Bank of Bangladesh and the State Bank of India.

6. The Government of Bangladesh may impose any other conditions, where necessary, regarding the distribution and sale of the goods imported under this Arrangement.

7. The import licence shall be valid for a period of 3 months or upto 27th March, 1973, whichever is earlier, but letter of credit will have to be established within two months from the date of issue, or 27th February, 1973 whichever is earlier, No. extension shall be granted in the period of the validity of the licences.

Export from Bangladesh

8. The eligible exporters of Bangladesh will be required to negotiate contracts with the eligible importers in India and register the contracts with the Uttara Bank of Bangladesh. The Uttara Bank will register the contracts on "first-come first-served basis". Necessary intimation in regard to such contracts will be sent to the State Bank of India, Calcutta, by the Uttara Bank, Dacca.

9. A copy of the Public Notice issued by the Government of India regarding trade with Bangladesh under this Arrangement, is reproduced in Annexure III for information.

Trade Outside Limited Payment Arrangement

10. Imports and exports of commodities not covered by Annexures I and II may be allowed in accordance with the import, export and foreign exchange regulations and other procedures including customs formalities as may be in force from time to time.

K. M. RABBANI, Controller of Imports & Exports.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

अनुबन्ध 3

बंगला देश सरकार

व्यापार वाणिज्य मंत्रालय

(नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, ढाका)

ढाका 23 अप्रैल, 1972

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय 27–3–1972 से 27–3–1973 के दौरान भारत के साथ व्यापार

संख्या 72 (/आयात –बांगला देश सरकार और भारत सरकार के बीच हुए व्यापार समझौते के अनुसरण में, इस सार्वजनिक सूचना में निर्धारित विधि के अनुसार भारत से बांगला देश में आयात और बांगला देश से भारत में निर्यात करने की स्वीकृति देने का निश्चय किया गया है।

सीमित भुगतान व्यवस्था के मद व्यापार :

2 बांगला देश में भारत से आयात और बंगला देश से भारत में निर्यात की स्वीकृति उन में पण्यवस्तुओं और माल के लिए दी जा सकती है जो बांगला देश में या भारत में उत्पन्न किए जाते है या तैयार किए जाते है जैसा भी मामला हो, जैसाकि उनका उल्लेख अनुबन्ध-1 और 2 में किया गया है और यह प्रत्येक पण्यवस्तु के सामने यथा संकेतिक कुल मात्रिक उच्चतम सीमा तक स्वीकृत है।

3. अनुबन्ध प्रत्येक पण्यवस्तु के सम्बन्ध में उन आयातकों और निर्यातकों को भी संकेतित करते है जो आयात या निर्यात में, जैसा मामला हो, भाग लेने के लिए पात्र होगें।

बांगलादेश में आयात :

4 उन मदों के सम्बन्ध में जिनका आयात निजी क्षेत्र के माध्यम से स्वीकृत किया गया है, पात्र आयातकों को आयात लाइसेंस इस कार्यालय से जारी किए जाएंगे। अर्ध सरकारी तथा स्वायत्तशासी निगमों को अनुबन्ध में यथा उल्लिखित मदों और राशि के लिए इस कार्यालय से आयात लाइसेंस जारी किए जायेंगे। आयात लाइसेंस की प्राप्ति के बाद लाइसेंसों को भारत में पात्र निर्यातकों के साथ एक संविदा तथा करने के लिए मांगा जाएगा और ऐसी संविदा की स्टेट बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता में पंजीकृत कराया जाएगा। स्टेट बैंक आफ इन्डिया आवश्यक सूचना उत्तरा बैंक ढाका को भेजेगा। एसआरओ 335/260/24, दिनांक 12 जून 1951 की शर्तों के अनुसार बांगला देश के वे सरकारी विभाग जिन्हें आयात लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है, फिर भी, भारत में पात्र निर्यातकों के साथ संविदा को अन्तिम रूप देने और ऊपर संकेत किए गए के अनुसार अपनी संविदा को पंजीकृत कराने तथा तदनसार साख-पत्र को पण्यपयोगी बनान की जरूरत होगी।

5. सभी लाइसेंसों साख-पत्रों को इस सम्बन्ध में उचित रूप से पृष्टाकित किया जाएगा कि आयात के सम्बन्ध भुगतान में बांगला देश के उत्तरा बैंक और भारत के स्टेट बैंक के बीच तय किए गए प्रबन्धों की व्यवस्थाओं के अनुसार बांगला देश के उत्तरा बैंक द्वारा अनुपालित विशेष लेखे के माध्यम से किया जाएगा।

6. इस व्यवस्था के अन्तर्गत की आयातित माल के वितरण तथा बिक्रय के सम्बन्ध में, जहां आवश्यक हो, बांगला देश की सरकार कोई अन्य बातें लगा सकती हैं।

7. आयात लाइसेंस तीन माह की अवधि के लिए या 27-3 73 तक इनमें जो भी पहले हो, वैध रहेगा, लेकिन साख-पत्र की स्थापना आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के दो माह के भीतर या 27-2-73 तक इन में जो भी पहले हो, करनी पड़ेगी। लाइसेंसों की वैधता अवधि में किसी प्रकार की वृद्धि की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

बांगला देश से निर्यात

8 बांगला देश के पात्र निर्यातकों को भारत में पात्र आयातकों के साथ संविदा करने तथा बांगला देश के उत्तरा बैंक में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी। उत्तरा बैंक पहल आए सौ पहले पाए के आधार पर पंजीकरण करेगा। ऐसी संविदाओं के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना उत्तरा बैंक ढाका द्वारा भारत के स्टेट बैंक, कलकत्ता को भेजी जाएगी।

9. इस व्यवस्था के अन्तगत बांगला देश के साथ व्यापार के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी की गई साजर्वनिक सूचना की एक प्रति सूचनार्थ अनबन्ध-3 में प्रस्तुत की गई है।

10. **सीमित भुगतान व्यवस्था से परे व्यापार** :

उन पण्यवस्तुओं का आयात और निर्यात जो अनुबंध-1 और 2 के अन्वर नहीं आती, उनकी स्वीकृत आयात-निर्यात और विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार और सीमाशुल्क औपचारिकताओं सहित अन्य प्रक्रियाओं के अनुसार दी जा सकती है जो समय समय पर लागू हो सकती है।

के० एम० रब्बानी
नियंत्रक, आयात-निर्यात।

एम० एम० सेन
नियंत्रक आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972